स्मरण पत्र

अति आवश्यक / फैक्स द्वारा

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकःएफ 2(2)15 / विधि / प्रमुवस / 1763-79 दिनांकः 25/02/2016

निमित्त,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,अनुसंधान एवं प्रशिक्षण जयपुर
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(सिल्वीकल्चर) जयपुर।
संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर / अजमेर / भरतपुर / कोटा / उदयपुर / जोधपुर / बीकानेर
मुख्य वन संरक्षक,
वन्यजीव, जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / कोटा / भरतपुर
परियोजना,कोटा / विभागीय कार्य, जयपुर / कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त,जयपुर

विषयः Reduction in pendency through implementation of State Litigation Policy.

संदर्भः—इस कार्यालय का पत्रांक 268—85 दिनांक 14.01.16एवं विधि एवं विधिक कार्य विभाग का पत्रांक प0 12 (8)राज / वाद / 10,पार्ट—III जयपुर दिनांक 13.01.16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विधि एवं विधिक कार्य विभाग के सन्दर्भित पत्र की छायां प्रति संग्लन कर लेख है कि इस कार्यालय के सन्दर्भित पत्र का पुनः अवलोकन करने का कष्ट करें। पत्र के माध्यम से विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा प्रस्तुत किये गये निर्धारित प्रपत्र में सूचना संकलित कर दिनांक 18.01.16 तक भिजवाने हेतु अनुरोध किया गया था। सूचना आवश्यक होने के कारण पत्र का दिनांक 14.01.16 को पत्र का फैक्स भी कराया गया। परन्तु चाही गई सूचना आदिनांक तक आपसे अप्राप्त है।

अतः चाही गई सूचना तत्काल 3 दिवस में भिजवाना सुनिश्चित करें। ताकि विधि एवं विधिक कार्य विभाग को सूचना भिजवाई जा सकें।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देवें।

संलग्नः उपरोक्तानुसार कृ.प.उ.

भवदीय,

(ए.के.सिंह)
अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
श्रम एवं विधि,
राजस्थान, जयपुर।

D:\Rekraj ji\justic department\red catagiry.docx

DCF IT PO. upload ~~this~~ letter
on department website -

MOST-URJENT P-1

DLR

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

कमांकः प0 12 (8)राज/वाद/10,पार्ट–III जयपुर, दिनांक 13-1-2016
समस्त अति0 मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव
/शासन सचिव..

विषयः– **Reduction in Pendency through implementation of State Litigation Policy.**

संदर्भः– **इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 15.12.15**

5724
27.1.16

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस कार्यालय के संदर्भित पत्र के साथ उप शासन सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी के कियान्वयन पश्चात् विचाराधीन प्रकरणों मे कमी (Reduction in Pendency through implementation of State Litigation Policy) के क्रम में उनके द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा संलग्न कर आपके विभाग से संबंधित सूचना संलग्न प्रपत्र में अंकित कर भिजवाने हेतु लिखा गया था किन्तु अभी तक आपके विभाग से संबंधित सूचना अप्राप्त है। अतः चाही गई सूचना अतिशीघ्र (अधिकतम 7 दिवस के भीतर) इस कार्यालय को आवश्यक रूप से प्रेषित करने का श्रम करें।

भवदीय,

11.1.2016

(धर्मदत्त शर्मा)
विशिष्ठ शासन सचिव, विधि

पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उप विधि परामर्शी

312
28.1.16 F9

Proforma for Assessment of Impact of Implementation of State Litigation Policy.

Name of the State: ____________

1. Reduction of Pendency of Cases in High Court in which State Government was party (petitioner or respondent or appellant).

Sr. No.	Particulars	Number of Cases pending in High Court as on 01.07.2014 in which State Government was a party	Number of Cases in which State Government was a party added during 01.07.2014 to 31.12.2014	Number of cases disposed of by High Court from 01.07.2014 to 31.12.2014	Number of cases withdrawn / settled through ADR from 01.07.2014 to 31.12.2014	Number of Cases pending in High Court as on 31.12.2014 in which State Government was party	Remarks, if any*
1.	Pending cases 0 to 1 year old						
2.	Pending cases 1 to 5 years old						
3.	Pending cases more than 5 years old						
	Total						

2. Reduction of Pendency of Cases in Subordinate Courts in which State Government was party (petitioner or respondent or appellant).

Sr. No.	Particulars	Number of Cases pending in Subordinate Courts as on 01.07.2014 in which State Government was a party	Number of Cases in which State Government was a party added during 01.07.2014 to 31.12.2014.	Number of cases disposed of by Subordinate Courts from 01.07.2014 to 31.12.2014	Number of cases withdrawn / settled through ADR from 01.07.2014 to 31.12.2014	Number of Cases pending in Subordinate Courts as on 31.12.2014 in which State Government was party	Remarks, if any*
1.	Pending cases 0 to 1 year old						
2.	Pending cases 1 to 5 years old						
3.	Pending cases more than 5 years old						
	Total						

**In case it has not been possible to reduce pendency of Cases in which State Government was party (petitioner or respondent or appellant), the reasons, if any, for the same could be mentioned under remarks column.*

3. Special Measures, if any, taken by the State Government for reduction in pendency of Cases in which State Government, was a party (petitioner or respondent or appellant).

****